पूर्व पीठिका

15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और इस आजादी के पश्चात् भारत में बिखरे हुये कुल 6 00 रियासतों को भारतीय संघ में विलीन कर लिया गया। ये रियासतें निरंकुश राजतंत्र की प्रतीक थीं, जो ब्रिटिश भारत की अंग न थी। इन रियासतों और प्रांतों के बीच इतिहास ने एक दीवार खड़ी कर दी थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार उसके शासन में सीधा हाथ नहीं डाल सकती थी। इस प्रकार राजनैतिक दृष्टिकोण से दो भारत बन गये- एक था ब्रिटिश भारत जिस पर ब्रिटिश संसद के विधि-विधान और कानूनों द्वारा शासन किया जाता था और दूसरा था देशी भारत जिस पर राजाओं और नवाबों का सिक्का कायम था।

गर्वनमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935 ई. में '' देशी रियासतों की जो परिभाषा मिलती है उसमें कहा गया है,कि-देशी रियासत चाहे उसे स्टेट, एस्टेट और जागीर या अन्य किसी नाम से क्यों न पुकारा जाय वह प्रदेश है जो एक ऐसे शासक के आधिपत्य या अधिराज में है जिसको स्वयं ब्रिटिश सम्राट की छत्रछाया प्राप्त है, किन्तु वह (प्रदेश)ब्रिटिश भारत का अंग नहीं है ''।

भारत की ये रियासतें किसी योजना के आधार पर नहीं बनाई गई थी, उन्हें तो ऐतिहासिक घटनाओं का उपज कहना अधिक न्याय संगत होगा। जब 1857 ई. में ब्रिटिश सत्ता के विरूद्ध भारतीय जनता में संगठित होकर पहली बार विद्रोह का झंडा खड़ा किया तब तक कम्पनी कितने ही देशी रजवाड़ों को खत्म कर चुकी थी और उन प्रदेश पर सीधा ब्रिटिश शासन कायम हो चुका। तब तक भारत का दो तिहाई प्रदेश और आधे से अधिक जनसंख्या ब्रिटिश प्रांतों का अंग बन चुकी थी। सन् 1858 ई. में महारानी विक्टोरिया की घोषणा ने इन रियासतों में नवीन जीवन का संचार कर दिया। महारानी ने अपनी राजकीय घोषणा में कहा था- ''हमें अपने राज्य की सीमाओं की विस्तार की इच्छा नहीं है यद्यपि हम अपने राज्य और अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रहार बर्दाश्त नहीं कर सकते,फिर भी हम देशी नरेशों के अधिकार, प्रतिष्ठाओं और मर्यादाओं का उतना ही आदर करेंगे जितना कि हमें अपनी प्रतिष्ठा, मर्यादा और अधिकारों की परवाह है।''

सन् 1857 के विद्रोह से ब्रिटिश शासकों की आँखें खुल गई। वे जान गये कि भारत में शासन करने के लिए देशी रियासतें बहुत जरूरी हैं। यही कारण था कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने विक्टोरिया की घोषणा पर छाप लगाने में देर नहीं की, उसने भारत में बेहतर शासन एक्ट कानून पास किया जिसमें कहा गया था कि- ''कम्पनी ने जो संधियाँ कर रखा है, ब्रिटिश साम्राज्ञी उन सब का पालन करेगी। उस एक्ट के बाद रियासतों को ब्रिटिश प्रदेश में नहीं मिलाया गया। उनके अस्तित्व का खतरा मिट गया।''

ब्रिटिश सरकार भारत में अपने साम्राज्य का और देशी नरेश अपने निजी अस्तित्व के लिए एक दुसरे से मिल गये। स्पष्ट था कि ब्रिटिश ताज सैद्धांतिक रूप से इन रियासतों की आंतरिक संप्रभुता का सम्मान करने बाध्य थे। परन्तु कालान्तर में भारत के बायसराय एवं उनके द्वारा नियुक्त पॉलिटिकल एजेन्टों के द्वारा रियासतों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने का क्रम प्रारंभ हुआ। इस प्रकार देशी रियासतें अपने आंतरिक प्रशासन में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रणाधीन हो गई।

मोटे तौर पर देशी रियासतें दो हिस्सों में बटी हुई थी -

1. सैल्यूट स्टेट्स- जिनको सलामी का अधिकार था।

2. नॉन सैल्यूट स्टेट्स - जिनकों सलामी का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश भारत में लगभग 450 ऐसी रियासतें या जागीरें थी जिन्हें सलामी का अधिकार नहीं था। ऐसी रियासतों के अधिकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय-समय पर इन रियासतों को दी जाने वाली सनदों में परिभाषित किये जाते थे। दुसरे शब्दों में, इन रियासतों के संबंध में यही कहा जा सकता है कि वे अपने आंतरिक प्रशासन में भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रित और संचालित होती थी। ऐसी रियासतों को करदी या सामन्ती रियासतें कहा जाता था।

प्रारंभ से छत्तीसगढ़ राजतंत्र और सामंतशाही का पोषक रहा है। सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी जो 30,959 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैली हुई थी।

मध्यप्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित छत्तीसगढ़ की सामंती रियासतों में सारंगढ़ रियासत सामंती रियासत थी, जिसका सूचना अस्तित्व ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर निर्भर थी। यह रियासत अपने आंतरिक प्रशासन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त पॉलिटिकल एजेन्ट की अधीन थी जो इस रियासत के प्रशासन का समय-समय पर निरीक्षण करता था।

प्रस्तुत शोध प्रबंध सारंगढ़ रियासत की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था (सन् 1854-1948 ई.) का उद्देश्य सारंगढ़ रियासत की राजनैतिक व्यवस्था एवं आंतरिक प्रशासन की विभिन्न प्रकियाओं तथा प्रणालियों का अध्ययन करना रहा है। चूंकि इस रियासत के प्रशासन पर ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण होता था, अत: इनका प्रशासन ब्रिटिश मानदण्डों के अनुसार संचालित होता था। यह रियासत लम्बे समय तक ब्रिटिश शासनाधीन रह चुकी थी अत: इनके प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव पड़ना स्वभाविक था।

प्रशासनिक इतिहास तथा राजनीतिक इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक इतिहास के संबंध में प्रशासनिक स्थिति का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। विभिन्न शासकों के शासन काल में आये प्रशासनिक परिर्वतनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय की महत्ता को प्रदर्शित करता है।

अध्ययन का विषय क्षेत्रीय इतिहास है। सुक्ष्म व क्षेत्रीय इतिहास शोध को नवीन दिशा एवं रुपरेखा प्रदान करता है। अत: विषय का अध्ययन महत्वपूर्ण है।

यद्यपि रियासतों पर तो आज अनेक शोध कार्य हो चुके हैं और हो भी रहें हैं। असंख्य कृतियाँ लिखी गई हैं और लिखी जा रही हैं, पर इन उपलब्ध ग्रंथों में विषय से संबंधित न तो कोई विशेष उल्लेखनीय सामग्री दी गई है और न ही इस पर प्रकाश डाला गया है। इस संबंध में कुछ ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय है जिनके पुनरावलोकन करने का प्रयास किया गया है -

देशी रियासतों के इतिहाम से संबंधित सर्वप्रथम अध्ययन द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया सर विलियम ली वार्नर, मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, सेंट मार्टिन स्ट्रीट, लंदन, सन् 1910 में प्रकाशित इस कृति में रियासती शासन एवं रियासती शासकों के अध्ययन के साथ ही इन रियासतों के क्रमश: ब्रिटिश नियंत्रण में जाने की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। परन्तु इस कृति में विषय से संबंधित उल्लेखनीय सामग्री का अभाव है।

सन 1928 में के. एम. पाणिक्कर ने एन "इन्ट्रोडक्सन टू द स्टडी ऑफ द रिलेसन्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स विथ द गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया" नामक पुस्तक में मुख्य रूप से सन 1858 ई. के पश्चात् देशी रियासतों के ब्रिटिश सरकार के साथ संबंधों के क्रमिक विकास पर प्रकाश डाला गया है इस ग्रंथ में विषय से संबंधित तथ्यों

का अभाव है।

''देशी रियासतों में स्वाधीनता संग्राम का इतिहास'' आर.एल. हाण्डा सन् 1969 ई. स्टरलिंग पब्लिशन (प्रा.) लि. मोरीगेट, दिल्ली -6 से प्रकाशित कृति में रियासतों पर प्रकाश डाला गया है, किन्तु सारंगढ़ रियासत पर इसमें सामग्री का अभाव है, अत: यह एक श्रेष्ठ कृति होते हुये भी अधुरी मानी जावेगी।

''टू वर्डस द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स 1919-1947'' उर्मिला फार्निवास, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, 1968 ई. की कृति में रियासतों में 1919-1947 ई. तक रियासतों में चल रहें राजनैतिक आन्दोलनों का उल्लेख किया गया है, किन्तु सारंगढ़ रियासत एवं उसके प्रशासन का इसमें उल्लेख नहीं है।

''इंडियन स्टेट्स'' खासीराव जाधव और बी.पी. मेहता, लक्ष्मी विलास प्रिंटिंग प्रेस कं. प्रा.लि. द्वारा के.जी. पटेल, बड़ौदा लिखित कृति से हमें रियासती शासन के बारे में जानकारी मिलती है किन्तु सारंगढ़ रियासत संबंधित कुछ विशेष उल्लेखनीय तथ्य अप्राप्त हैं।

''एडमिनीस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ बरार'' डॉ.एम.ए. खान की कृति में मध्य प्रांत से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज है परन्तु यह ग्रंथ रियासतों के प्रशासन में मौन है। इंडियन स्टेट्स एण्ड द न्यू रिजनिंग महाराज कुमार रघुवीरसिंह, पब्लिशियस व्ही.पी. तारापोखाला सन्स एण्ड के. ट्रेजर्स हाउस ऑफ बुक्स 210 फोरावी रोड फोर्ड बाम्बे में रियासती शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है किन्तु सारंगढ़ रियासत की जानकारी नहीं दी गई है।

शोध का प्रतीक विषय किसी एक या अनेक परिकल्पनाओं पर टिका होता है और यह शोधकर्ता की जिम्मेदारी है कि अपने अध्ययन को एक सही दिशा की ओर ले जाये जिससे कि वह विषय की भूल भूलैया में ही भटकता न रहे।

संबंधित शोध विषय कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित है, मेरी प्रथम परिकल्पना - सारंगढ़ रियासत में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापना के पूर्व राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन की रही।

मेरी द्वितीय परिकल्पना - आलोच्य अवधि के पूर्व राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था तथा ब्रिटिश नियंत्रण के साथ ही उनमें आये परिवर्तनों का अध्ययन करना रहा।

मेरी तृतीय परिकल्पना - सारंगढ़ रियासत की आंतरिक प्रशासन की विभिन्न प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों के अध्ययन की रही।

चतुर्थ परिकल्पना - सारंगढ़ रियासत के प्रशासन के स्वरूप तथा उसमें जनता की भागीदारी के अध्ययन की रही।

पंचम परिकल्पना - विभिन्न शासकों की नीतियों तथा प्रशासनिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करना रहा। इन परिकल्पनाओं के अतिरिक्त अनेक बातें तथ्यों के आधार पर जब तक मेरे दिमांग में उपजती रही मेरा उद्देश्य तथ्यों के आधार पर सत्य का उद्घाटन करना रहा।

प्रस्तुत शोध प्रबंध अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न इकाईयों में विभक्त है -

अध्याय I - में सारंगढ़ रियासत के सामान्य परिचय अंतर्गत नामकरण, भौगोलिक परिचय के साथ ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संक्षिप्त विवेचन का प्रयास किया गया है।

अध्याय 2- में सारंगढ़ रियासत के राजगोंड़ वंश के शासकों की उपलब्धियों तथा राजनैतिक घटनाओं का विवरण दिया गया है।

अध्याय 3- के अंतर्गत सारंगढ़ रियासत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही ब्रिटिश नियंत्रण तथा नीति एवं सारंगढ़ रियासत के साथ उनके संबंधों की चर्चा की गई है।

अध्याय 4 - में आलोच्य अवधि में सारंगढ़ रियासत के सामान्य प्रशासन के विविध अंगों का क्रमशः प्रस्तुतीकरण किया गया है।

अध्याय 5- में सारंगढ़ रियासत में विधि एवं न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस, जेल तथा न्याय प्रशासन की चर्चा की गई है।

अध्याय 6- में सारंगढ़ रियासत की राजस्व प्रशासन के अंतर्गत भू-राजस्व, आबकारी तथा वन राजस्व प्रशासन की चर्चा की गई है।

अंत में विभिन्न अध्यायों में की गयी समालोचनात्मक व्याख्याओं को उपसंहार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत विषय के अध्ययन हेतु मैंने सर्वप्रथम सारंगढ़ राजमहल '' गिरि विलास पैलेस'' से प्राप्त दस्तावेजों एवं पाण्डुलिपियों को अन्य स्रोतों से पुष्ट कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया तथा प्रकाशित ग्रंथों एवं अप्रकाशित शोध ग्रंथों, अभिलेखागार की सामग्रियों, लोगों की निजी कागजात, समाचार पत्र पत्रिकाओं का व्यापक उपयोग करने का प्रयास किया है। अपनी समझ का बड़ा आधार मैंने विद्वान इतिहासविदों तथा सारंगढ़ के वयोवृद्ध बुद्धिजीवी नागरिकों से चर्चा को बनाया।

विषय से संबंधित आवश्यक और महत्वपूर्ण सामग्रियों के संकलन हेतु राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, इण्डियन कौंसिल फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च नई दिल्ली , नेहरू संग्रहालय एवं ग्रंथालय, नई दिल्ली, राजकीय अभिलेखागार भोपाल, म.प्र. सेण्ट्रल रिकार्ड रूम नागपुर, गजेटियर संचालनालय भोपाल, माधव राव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल, जिला ग्रंथालय रायगढ़, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सारंगढ़, पं. सुन्दर लाल शर्मा ग्रंथागार पं. रवि. शु. वि.वि. रायपुर, महंत सर्वेश्वरदास ग्रंथालय रायपुर, विवेकानंद आश्रम ग्रंथालय रायपुर, गुरूघासीदास विश्वविद्यालय ग्रंथागार बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ शोध संस्थान रायपुर आदि से अवलोकनार्थ सामग्रियों का एकत्रीकरण का कार्य संपादित किया। राजपरिवार के पास संग्रहित दस्तावेज एवं स्थानीय ग्रंथालयों में संकलित सामग्रियों का अवलोकन कर शोध के उद्देश्यों तथा परिकल्पनाओं को मूर्त रूप देने तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया है।

यद्यपि मैंने अपने सामर्थ्य के अनुरूप शोध प्रबंध को श्रेष्ठतम तथा उद्देश्यपरक बनाने का प्रयत्न किया है , किन्तु मानवोंचित गुणों के सदृश्य कुछ पहलुओं का छूट जाना नितांत स्वाभाविक है, अतः इसके लिए मुझे खेद रहेगा।

कृषिराज पाण्डेय
शोध छात्र
पं.रवि. शु. विश्वविद्यालय
रायपुर (छत्तीसगढ़)